संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ

संस्कृति निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निम्न योजना हेतु उ0प्र0 के विभिन्न कलाकारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:-

1.	**वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन** (रू0 2000/-प्रतिमाह)	ऐसे ख्याति प्राप्त कलाकार जिन्होने संबंधित कला विधा/क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षो तक कला प्रदर्शन किया हो तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से कम न हो तथा आय रू0 24,000.00 प्रति वर्ष से अधिक न हो। (आय का प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा आयु के प्रमाण हेतु हाईस्कूल का प्रमाण पत्र या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य होगा)

योजना के लिये आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर वांछित सूचनाएं स्पष्ट रूप से अंकित कर प्रेषित किया जाना है। केवल निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन मान्य होंगे। आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ जिले के सहायक सूचना निदेशक अथवा सूचना अधिकारी/संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र प्रभारी/जिलाधिकारी से संस्तुति कराकर संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0 नवम् तल, जवाहर भवन, लखनऊ में जमा किये जायेंगे। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल,2011 होगी। अपूर्ण एवं प्राधिकृत अधिकारी की संस्तुति रहित एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं होगा।

आवेदन-पत्र का प्रारूप वेबसाइट-http://upculture.up.nic.in/संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ/क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, आगरा, बरेली, गोरखपुर, फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, झॉसी से उपलब्ध होंगे।

नोटः- **विशेष जानकारी/विवरण हेतु निदेशक, संस्कृति निदेशालय, नवम् तल जवाहर भवन, लखनऊ से व्यक्तिगत अथवा फोन नं0-0522-2286538, 0522-2286609 पर सम्पर्क कर सकते है।**

निदेशक
संस्कृति, उ0प्र0